वर्तमान परिदृश्य में महिला शिक्षा – दशा एवं दिशा

जितेन्द्र सिंह गोयल*
सुनीता चौधरी**

शिक्षा, महिलाओं की स्थिति सुधारने, आत्मविश्वास जगाने, आत्मसम्मान की भावना पैदा करने, सही ढंग से सोच विचार की योग्यता बढ़ाने, समाज में परिवर्तन लाने एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समाजिक एवं आर्थिक नीति का ढाँचा महिला शिक्षा से प्रभावित होता है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। शहरी क्षेत्रों में इस आवश्यकता को ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक स्वीकार कर लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के साथ-साथ प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम, महिला समाख्या, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या व शिक्षा तथा एकीकृत बाल विकास सेवा जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कन्या शिक्षा के विविध पक्षों को सुदृढ़ करके लड़कियों तक शिक्षा के प्रकाश को पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सारी कवायद का केंद्रीय पक्ष वस्तुतः समाज में बालिका शिक्षा की माँग को सृजित करना, बालिका शिक्षा में जनसमुदाय विशेषकर महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना तथा बालिका शिक्षा को सुनिश्चित करने वाले दबाव कारकों को उत्पन्न करना है। इस कार्य में निःसंदेह समाज व माता-पिता की अभिप्रेरणा व सजगता, स्कूली क्रियाकलापों व समितियों में महिलाओं व माताओं की बढ़ती भूमिका एवं स्कूल, अध्यापकों व समुदाय के परस्पर संबंध का सुदृढ़ीकरण जैसे उपाय परम आवश्यक व महत्वपूर्ण हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के इन प्रयासों से निःसंदेह हमारे देश में बालिका शिक्षा का तीव्र गति से प्रसार हुआ है एवं आशा की जा सकती है कि शीघ्र ही शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त यौन असंतुलन समाप्त हो जायेगा।

**जूनियर रिसर्च फैलो* (शिक्षा विभाग), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
***प्रवक्ता* (शिक्षा विभाग), गयाप्रसाद पी.जी. कॉलेज, डिभौली, चकरनगर, इटावा

Bhartiya Adhunik Shiksha - January 2014.indd 85 09-04-2015 AM 11:08:20

प्रस्तावना

नारी समाज की धुरी है, यह सत्य है। इस कटु सत्य को आज भी पुरुष प्रधान समाज ने स्वीकार करने में अनभिज्ञता ही जाहिर की है। नारी अपने जीवन की कार्यकुशलता और परिश्रम के दम पर मानव समाज में अपनी योग्यता का लोहा मनवाती रही है। भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान अत्यंत प्राचीन काल से रहा है। प्रत्येक काल खंड में उसे सम्मानित दृष्टि से देखा जाता रहा है। वैदिक कालीन साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस युग में नारी का बड़ा आदर किया जाता था लेकिन नारी की स्थिति विभिन्न युगों में परिवर्तित होने के कारण भिन्न-भिन्न रही, कभी उन्नति को चूमा तो कभी अवनति तक पहुँच गयी तो कभी उनकी सुरक्षा तथा संरक्षा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर थी लेकिन मुगलकालीन शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शिक्षा का पतन प्रारंभ हो गया था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व स्त्री शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास प्रारंभ किये।

आज भी नारी शिक्षा के क्षेत्र में भले ही अपनी अधिकतम संख्या को दर्शा रही है, इसके उपरांत भी विद्यालय न जाने वाली लड़कियों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। दूर-दराज़ के गाँवों में आज भी विद्यालय जाने से लड़कियाँ हिचकिचाती हैं। माता-पिता भी पुत्रियों को अधिक शिक्षित बनाने के पक्षधर नहीं हैं, क्यों? यह सवाल अनेक सवालों को जन्म देने वाला है। जब नारी जीवन सवालों के घेरे में कसता दिखायी देता है तब नारी उत्थान और नारी प्रगति की सारी योजनायें धरी की धरी रह जाती हैं। यह सभी जानते और मानते हैं कि नारी पुरुषों से कहीं अधिक सहनशील तथा प्रतिभावान होती है। फिर भी स्वयं को हीनता से ग्रसित ही पाती है। इस हीनता का कारण दूर करने के उपायों को खोजकर जब हम समाज में नारी का महत्त्व बढ़ायेंगे तभी हम स्वयं को प्रगतिशील व संस्कारवान कहने के पूर्ण अधिकारी होंगे।

प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक काल की अनेक महान, वंदनीय व गौरवान्वित महिलाओं ने अपने आदर्श जीवन से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का अतुलनीय कार्य किया है। वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन तथा महिला सशक्तीकरण का प्रमुख श्रेय स्त्री शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार को है।

महिला शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन काल में नारी शिक्षा

वैदिक साहित्य में गार्गी, मैत्रेयी, आत्रेय, शकुंतला आदि अनेक विदुषी स्त्रियों की चर्चा मिलती है, जो इस बात का प्रमाण है कि वैदिक काल में महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु केवल गिनी-चुनी कुछ ही विदुषी स्त्रियों की चर्चा मिलने से इस बात का संकेत भी मिलता है कि इस समय नारी शिक्षा अत्यंत सीमित थी तथा केवल समाज के परिवारों की लड़कियाँ ही शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का सदुपयोग कर पाती थीं। उस समय स्त्रियों के लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण वे पुरुषों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करती थीं, अर्थात् उस समय सह-शिक्षा व्यवस्था का प्रचलन था।

बौद्धकाल में नारी शिक्षा

बौद्धकाल के प्रारंभिक वर्षों में स्त्रियों को मठों में प्रवेश नहीं दिया जाता था परंतु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ के रूप में प्रवेश करने की अनुमति देकर स्त्री शिक्षा को एक नया आयाम दिया, जिसके कारण स्त्री शिक्षा को एक नया जीवन मिला परंतु यह शिक्षा भी केवल धनी व कुलीन घरानों की स्त्रियों तक ही सीमित रही थी। परिणामत: भारत में बहुत लंबे समय तक सामान्य स्त्रियों की शिक्षा लगभग उपेक्षित ही रही थी परंतु उस समय भी संघमित्रा जैसी विदूषी नारियों ने स्त्रियों का नाम रोशन किया था।

मुग़ल काल में नारी शिक्षा

मुस्लिम काल में भी सामान्य स्त्रियों की शिक्षा उपेक्षित थी। उस काल में बाल-विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण छोटी-छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से प्राय: वंचित ही रह जाती थीं। इतिहास के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उस समय कम आयु की बालिकाओं को कुछ वर्षों की प्राथमिक शिक्षा मिल जाती थी। मुस्लिम बालिकाएँ मस्जिद से जुड़े मकतबों में बालकों के साथ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेती थीं। मध्यम वर्ग के हिंदुओं की लड़कियाँ परिवार में पारिवारिक शिक्षा के रूप में अक्षर ज्ञान तथा धार्मिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लेती थीं। शाही घरानों तथा समाज के धनी वर्गों की बालिकाएँ अपने घरों में शिक्षा प्राप्त करती थीं। संभ्रांत, कुलीन तथा शाही परिवार प्राय: अपने घरों पर ही मौलवी अथवा अन्य विद्वानों को बुलाकर परिवार की स्त्रियों को शिक्षा देने की व्यवस्था कर लेते थे। उस काल की अनेक हिंदू तथा मुस्लिम विदूषियों की चर्चा इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिगोचर होती है। रजिया सुल्तान, नूरजहाँ, चाँदबीबी, गुलबदन, जेबुन्निसा, रानी रूपमती, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, माता जीजाबाई, बीबी अमरो आदि विदूषियों के नाम मध्यकालीन भारत के स्त्री शिक्षा के इतिहास में स्मरणीय हैं। परंतु इस सबके बावजूद मुस्लिम काल में सामान्य वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा-प्राप्ति के अवसर दुर्लभ ही रहते थे।

ब्रिटिश काल में नारी शिक्षा

ब्रिटिश शासन के प्रथम चरण में नारी शिक्षा को अनावश्यक समझ कर उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना प्रशासन चलाने के लिए स्त्री लिपिकों अथवा प्रशासकों की आवश्यकता नहीं थी। स्त्रियों के अनेक अंधविश्वासों से घिरे रहने तथा भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यंत रूढ़िवादी होने के कारण भी संभवत: ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्त्री शिक्षा में कोई रुचि नहीं ली। कंपनी शासन के दौरान स्त्री शिक्षा का प्रसार ईसाई मिशनरियों तथा अन्य सामाजिक संस्थानों के द्वारा किये गये व्यक्तिगत प्रयासों से प्रारंभ हुआ। सन् 1854 में वुड के आदेश पत्र में आधिकारिक तौर पर सबसे पहले स्त्री शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के सभी संभव प्रयास किये जाने की सिफ़ारिश की गई जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों के लिए अनेक स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। सन् 1902 तक स्त्री शिक्षा ने एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया

था। परिणामतः माता-पिता अपनी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस करने लगे थे तथा शिक्षा विभाग ने लड़कियों के लिए अलग बालिका विद्यालय खोलने प्रारंभ कर दिये थे।

आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसी समाज सुधारक संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया था, जिसके परिणामस्वरूप स्त्री शिक्षा की तीव्र गति से विस्तार हुआ था। सन् 1917 से सन् 1947 तक स्त्री शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। इस काल में स्त्रियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। इसी समय भारतीय नारी संगठन तथा राष्ट्रीय महिला परिषद् की स्थापना हुई। सन् 1927 में प्रथम अखिल भारतीय नारी सम्मेलन हुआ। इसी दौरान बाल-विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए शारदा एक्ट पारित हुआ। इन सभी समाज सुधारक कार्यों में स्त्री शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग तीस हज़ार नारी शिक्षा संस्थाएँ थीं जिनमें लगभग पचास लाख स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही थीं।

नारी शिक्षा की वर्तमान स्थिति

सन् 1947 में स्वाधीनता प्राप्त करने के उपरांत महिलाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अज्ञानता, परतंत्रता, रूढ़िवादिता तथा असहायता के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय स्त्रियाँ आज एक सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। स्त्रियों के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। स्त्रियों से संबंधित सामाजिक मान्यतायें बदल रही हैं। भारतीय संविधान में पुरुषों तथा स्त्रियों को पूर्णरूपेण समान दर्जा देते हुए भी शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया है। स्वतंत्रता के उपरांत स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जानने तथा उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अनेक समितियों व आयोगों का गठन किया गया। सन् 1958 में गठित 'दुर्गाबाई देशमुख समिति' तथा सन् 1962 में गठित 'हंसा मेहता समिति' के द्वारा भी महिला शिक्षा के प्रचार-प्रसार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये गये थे। कोठारी आयोग (1964-66) ने भी स्त्री शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव अपने प्रतिवेदन में दिए हैं। सन् 1986 की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये जाने का संकल्प दोहराया गया है।

दुर्गाबाई देशमुख समिति

स्त्री शिक्षा की समस्याओं तथा उनका समाधान करने के उपायों पर विचार करने के लिए सन् 1958 में भारत सरकार ने दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा' समिति का गठन किया जिसे समिति की अध्यक्षा के नाम पर दुर्गाबाई देशमुख समिति कहकर भी पुकारा जाता है। इस समिति का प्रमुख कार्य स्त्री शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान हेतु सुझाव देना था। समिति के द्वारा दिये गये कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे-

(1) भारत सरकार को कुछ समय के लिए स्त्री शिक्षा को एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

(2) भारत सरकार को समस्त राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा के विस्तार की नीति

निर्धारित करनी चाहिए तथा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को आवश्यक धनराशि प्रदान करनी चाहिए।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

(4) पुरुषों तथा स्त्रियों की शिक्षा में विद्यमान अंतर को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

(5) स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् नामक पृथक इकाई का गठन करना चाहिए।

(6) स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु राज्यों में लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा की राज्य परिषदें गठित की जानी चाहिए।

दुर्गाबाई देशमुख समिति के सुझाव को स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1965 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् का गठन किया। इस परिषद् का प्रमुख कार्य लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु तथा स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उसमें सुधार हेतु नीतियों, कार्यक्रमों व प्राथमिकताओं से संबंधित सुझाव देना है। यह परिषद् समय-समय पर स्त्री शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करके भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है।

हंसा मेहता समिति

सन् 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् ने विद्यालयी स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर होने अथवा नहीं होने की महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने हेतु श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसे समिति की अध्यक्षा के नाम पर 'हंसा मेहता समिति' नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने विचार-विमर्श के उपरांत सुझाव दिया है कि विद्यालयी स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। समिति ने कहा कि भारत में जनतंत्रीय तथा समाजवादी समाज की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। अत: शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत, क्षमताओं, रुझानों तथा रुचियों से होना चाहिए, न कि जेंडर भेद से। अत: जेंडर के आधार पर पाठ्यक्रम में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। समिति ने यह भी कहा कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो लड़के तथा लड़कियों के बीच विद्यमान वर्तमान अंतर को बढ़ाए।

कोठारी आयोग

सन् 1964 में डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 'शिक्षा आयोग', जिसने अपना प्रतिवेदन सन् 1966 में दिया था, ने भी महिला शिक्षा की समस्या पर विचार किया तथा अपने सुझाव प्रस्तुत किये। कोठारी आयोग ने मानव संसाधनों के विकास, परिवारों की उन्नति तथा बालकों के चरित्र-निर्माण में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया तथा स्त्री शिक्षा के लगभग सभी पक्षों पर अपने विचार प्रस्तुत किये। जिनमें से कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं-

(1) भारतीय संविधान में संकलित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकाधिक प्रयास किये जायें।

(2) लड़कियों के अध्ययन के लिए लड़कों

के विद्यालयों में भेजने के लिए जनमत तैयार किया जाये।

(3) उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले जायें।

(4) लड़कियों के लिए निःशुल्क छात्रावासों तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाये।

(5) लड़कियों के लिए अल्पकालीन शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

(6) लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाये।

(7) लड़कियों के लिए पृथक् कालेज स्थापित किये जायें।

(8) शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान तथा सामाजिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों को समुन्नत करके लड़कियों के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाये।

(9) नारी शिक्षा के लिए अनुसंधान इकाइयों की स्थापना की जाये।

(10) स्त्री शिक्षा के लिए अनुसंधान इकाइयों की स्थापना की जाये।

(11) विवाहित स्त्रियों के लिए अंशकालिक शिक्षा तथा अविवाहित स्त्रियों के लिए पूर्णकालिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

(12) स्त्री शिक्षा के संचालन के लिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर प्रशासनिक तंत्र का गठन किया जाये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986

सन् 1986 में घोषित नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने की संकल्पना की गई है। शिक्षा को स्त्रियों के स्तर में मूलभूत परिवर्तन लाने के साधन के रूप में प्रयोग करने को कहा गया है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसके कार्यान्वयन कार्यक्रम (POA-1992) में स्त्री शिक्षा से संबंधित निम्न बातें सम्मिलित की गई हैं–

(1) पुनर्रचित पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रमों, नीति–निर्धारकों व प्रशासकों के प्रशिक्षण व पुनश्चर्या कार्यक्रमों तथा शिक्षा संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता के द्वारा नये मूल्यों के विकास को बढ़ावा दिया जायेगा।

(2) विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में स्त्री–अध्ययनों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(3) शिक्षा संस्थाओं को स्त्री विकास के कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(4) स्त्री निरक्षरता तथा प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच तथा उसमें बने रहने के मार्ग की बाधाओं के निराकरण संबंधित प्रयासों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(5) विभिन्न स्तरों की व्यावसायिक, तकनीकी तथा वृत्तिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया जायेगा।

शिक्षा, महिलाओं की स्थिति सुधारने, आत्मविश्वास जगाने, आत्मसम्मान की भावना पैदा करने, सही ढंग से सोच–विचार की योग्यता बढ़ाने, समाज में परिवर्तन लाने एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समाजिक एवं आर्थिक नीति का ढाँचा महिला शिक्षा से प्रभावित होता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा जाता

है। शहरी क्षेत्रों में इस आवश्यकता को ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक स्वीकार कर लिया गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के दाखिले कम होने के निम्न कारण पाये गये हैं–

1. लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देना।
2. स्कूल की इमारतों तथा शिक्षिकाओं के रूप में भौतिक सुख–सुविधाओं का अभाव।
3. परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए लड़कियों को काम पर लगाया जाना।
4. परंपरागत रीति रिवाज जो कि लड़की की यौवनावस्था में पदार्पण करने के बाद इधर–उधर जाने से रोकते हैं तथा घर की चारदीवारी में ही कैदी के रूप में रहने को मज़बूर कर देना।
5. लड़कियों को अपने भाई–बहिनों की देखभाल के लिए घर पर ही रहने दिया जाता है तथा उनकी शिक्षा को ज़रूरी नहीं समझा जाता।
6. भारतीय समाज में व्याप्त जेंडर भेद व पुरुष प्रधानता।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर

महिला शिक्षा का स्तर स्वतंत्रता पूर्व तो बहुत कम था। स्वतंत्रता के 30 वर्षों बाद भी 1981 में महिला साक्षरता दर 24.8 प्रतिशत थी जबकि 1951 में यह दर 7.9 प्रतिशत, 1961 में 13 प्रतिशत, 1971 में यह दर 18.7 प्रतिशत ही थी। 1991 में यह दर 39.3 प्रतिशत थी जो 2001 में 54.16 प्रतिशत हो गई और जो बढ़कर 2011 में 65.46 प्रतिशत हुई जो पुरुष साक्षरता (82. 14 प्रतिशत) से कम है। परंतु 1991–2001 के दशक में महिला साक्षरता में 14.8 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि पुरुष साक्षरता में वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत ही हो पाई। इस उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद यह सच है कि आज भी लगभग 100 में से 46 महिलाएँ अशिक्षित हैं। अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों में अशिक्षित औरतों की संख्या सबसे अधिक है। इन सभी निरक्षर औरतों को साक्षर बनाने के लिए न केवल मौजूदा प्रयास जारी रखने होंगे बल्कि इनमें और तेज़ी लानी होगी। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति पैदा होती है। इसमें ग्रामीण, शहरी एवं प्रादेशिक असमानताएँ विद्यामान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 58.8 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 79.9 प्रतिशत हो गयी है। (2011 जनसंख्या आंकड़े) बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता दर केरल (92 प्रतिशत) में है तथा दूसरे स्थान पर मिजोरम (88 प्रतिशत) है, बिहार में महिला साक्षरता दर पूरे भारत में निम्नतम स्थान (53.3 प्रतिशत) पर है। शिक्षा काफी हद तक शहरी उच्च एवं मध्यमवर्गीय परिवारों तक सीमित है, उच्च शिक्षा में 6 प्रतिशत लड़कियाँ हैं। लड़कियों के लिए कला संकाय सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है। 1981 के बाद वाणिज्य, इंजीनियरिंग,आर्किटेक्चर, विधि, चिकित्सा संकायों में भी छात्राओं का आकर्षण बढ़ा है। वर्तमान में लड़कियों के लिए सूचना विज्ञान एवं कंप्यूटर महत्वपूर्ण ज्ञान के क्षेत्र हैं। परंतु शिक्षा प्राप्त करने

के बाद भी समाज में महिलाओं की निर्भरता पुरुषों पर से कम नहीं हुई है।

सरकार ने योजनाबद्ध विकास के प्रारंभ में ही यह महसूस कर लिया था कि शिक्षा महिला सशक्तीकरण की अनिवार्य आवश्यकता है। इसी के अनुरूप गाँवों में लड़कियों के लिए स्कूलों की संख्या बढ़ाने, लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा के साथ-साथ वर्दी, पाठ्यपुस्तकें तथा पाठ्यसामग्री मुफ्तदेकर उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के उपाय किए गये हैं। स्कूलों में पोषाहार योजना भी इसी उद्देश्य से शुरू की गयी है फिर भी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण लड़कियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। इस स्थिति से निपटने के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है जिसमें उन लड़कियों को अपनी शिक्षा आगे जारी रखने का अवसर दिया जाता है जो स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पातीं। सबको शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किए गये सर्वशिक्षा अभियान में भी गाँवों की लड़कियों को साक्षर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण लड़कियों के लिए विशेष छात्रावासों की एक योजना चलाई गयी है ताकि लड़कियों को अपने गाँवों से बाहर शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई न हो। इन विशेष उपायों के साथ-साथ महिला अधिकारिता के बारे में बढ़ रही सामान्य जागरूकता के फलस्वरूप लड़कियों को शिक्षित करने की अवधारणा को भी सामाजिक स्वीकृति मिल रही है, जिसमें महिला शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सारणी 1

एलीमेंटरी स्टेज पर लड़कियों का नामांकन (2001-02 से 2011-12 तक) (मिलियन में)

वर्ष	*प्राइमरी स्टेज कक्षा (1-5)*			*अपर प्राइमरी स्टेज कक्षा (6-8)*			*(एलीमेंटरी स्टेज कक्षा (1-8)*		
	लड़के	*लड़कियाँ*	*अंतर*	*लड़के*	*लड़कियाँ*	*अंतर*	*लड़के*	*लड़कियाँ*	*अंतर*
2000-01	64.0	49.8	14.2	25.3	17.5	7.8	89.3	67.3	22.0
2001-02	63.6	50.3	13.3	26.1	18.7	7.4	89.7	69.0	20.7
2002-03	65.1	57.3	7.8	26.3	20.6	5.7	91.4	77.9	13.5
2003-04	68.4	59.9	8.5	27.3	21.5	5.8	95.7	81.4	14.3
2004-05	69.7	61.6	8.6	28.4	22.7	5.8	98.2	83.8	14.4
2006-07	68.4	63.4	5.0	25.4	22.1	3.3	93.8	85.5	8.3
2007-08	69.5	64.6	4.9	27.0	23.9	3.1	96.4	88.6	7.8
2008-09	69.3	65.0	4.3	28.0	25.4	2.6	97.3	90.4	6.9
2009-10	68.8	64.7	4.1	28.3	26.2	2.1	97.1	90.9	6.2
2010-11	69.8	65.4	4.4	29.8	28.0	1.8	99.6	93.4	6.2

Source: Statistics of School Education, MHRD for data for period 2000-01 to 2004-05; and DISE for data for the period 2006-07 to 2010-11.

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत में नारी शिक्षा के प्रति पूर्व प्रचलित संकुचित दृष्टिकोण को दूर करने का प्रयास किया गया है। आज भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान शैक्षिक अधिकार प्राप्त हैं। वे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे बालकिाओं की सुव्यवस्थित शिक्षा की राह में आ रही कठिनाइयों का निवारण हो सके एवं लड़कियों का शैक्षिक नामांकन व धारण प्रभावी रूप से बढ़ सके। इस हेतु जन-समुदाय का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। परंतु आज भी सभी बालिकाएँ शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, स्त्रियों की भागीदारी कम हो जाती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ, कमज़ोर व पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएँ शिक्षा का पूरा लाभ उठाने में असमर्थ हैं और उच्च व तकनीकी शिक्षा में उनकी भागीदारी बहुत सीमित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में नारी शिक्षा के प्रति पूर्व प्रचलित संकुचित दृष्टिकोण को दूर करने का प्रयास किया गया है। आज भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान शैक्षिक अधिकार प्राप्त हैं। वे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे बालिकाओं की सुव्यवस्थित शिक्षा की राह में आ रही कठिनाइयों का निवारण हो सके एवं लड़कियों का शैक्षिक नामांकन व धारण प्रभावी रूप से बढ़ सके। इस हेतु जन-समुदाय का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है परंतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा में बालिकाओं/महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास व सामाजिक जाकरूकता की आवश्यकता है।

संदर्भ

गुप्ता, एम.एल. 1997. *भारतीय समाज.* साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा.

गुप्ता, एस.पी. और अलका गुप्ता. 2008. *भारतीय शिक्षा का इतिहास. विकास एवं समस्याएँ.* शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

देसाई, नीरजा. 2011. *भारतीय समाज में महिलाएँ.* नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली.

पाण्डेय, राजेन्द्र. 1994. *सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ़ कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया.* आशीष पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.

शर्मा, आर.ए. 2006. *भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास.* आर. लाल बुक डिपो, मेरठ.

सिन्हा, अंजली. ''बजट तक पहुँची ''निर्भया'' की गूँज'' *राष्ट्रीय सहारा,* लखनऊ, दिनांक 01/03/2013.

सियाराम. 2013. *स्त्री विमर्श के विविध संदर्भ.* ओमेगा पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.

http://www censusindia.gov.in/2011-common/censusdataonline.html (accessed 12 July 2013).

http://www.nuepa.org/Download/Publications/EFA%20Report.pdf (accessed 27 July 2013).